

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-8  
संख्या- 1905 / पॉच-8-2018-जी(117)/2017  
लखनऊ : दिनांक : 05 जून, 2018

कार्यालय ज्ञाप

मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-378(एस०/बी०)/2016 डा० इन्द्रा राजेश बनाम भारत संघ व अन्य के क्रम में डा० श्रीमती इन्द्रा राजेश, महिला चिकित्साधिकारी (वरिष्ठता क्रमांक-10352) सामु० स्वा० केन्द्र, किच्छा, ऊधम सिंह नगर को उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा अनुभाग-2 के पत्र संख्या-895/XXVIII-2-2016/06(02)/2012 देहरादून दिनांक 13.10.2016 द्वारा अन्तिम रूप से उ०प्र० राज्य आवंटित किये जाने के आधार पर डा० इन्द्रा राजेश को उत्तराखण्ड से उ०प्र० राज्य हेतु कार्यमुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की गई, जिसके अनुक्रम में महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड के आदेश संख्या-2प/रा०म०/53/2008/22797, दिनांक 15.10.2016 के अनुपालन में मुख्य चिकित्साधिकारी, ऊधम सिंह नगर उत्तराखण्ड के आदेश संख्या-स्था०/म०चिकि०अधि०/2016-17/992, दिनांक 18.03.2017 द्वारा उत्तराखण्ड राज्य से कार्यमुक्त किया गया। तदोपरान्त डा० श्रीमती इन्द्रा राजेश, महिला चिकित्साधिकारी द्वारा दिनांक 03.04.2017 को महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड के समक्ष योगदान आख्या प्रस्तुत की गई।

2- महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-2फ/47-म-97/315, दिनांक 01.06.2017 एवं पत्र संख्या-2फ/47-म-97/607, दिनांक 21.08.2017 की आख्या पर सम्यक विचारोपरान्त डा० श्रीमती इन्द्रा राजेश, महिला चिकित्साधिकारी को उत्तर प्रदेश राज्य में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के समक्ष योगदान की तिथि 03.04.2017 से कार्यभार ग्रहण कराते हुए उन्हें जिला महिला चिकित्सालय, शाहजहाँपुर में एतद्वारा तैनात किया जाता है।

3- डा० श्रीमती इन्द्रा राजेश, महिला चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायें।

प्रशान्त त्रिवेदी,  
प्रमुख सचिव।

संख्या- 1905 (1)/पॉच-8-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार(प्रथम), उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- उप सचिव, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के पत्र संख्या-27/69/2005/एस०आर०एस०, दिनांक 23.04.2007 के संदर्भ में।
- 3- संयुक्त सचिव, उ०प्र० पुनर्गठन समन्वय अनुभाग-1 के पत्र संख्या-जी०आई०-89(1)/28-1-2007, दिनांक 04.06.2007 के संदर्भ में।
- 4- अनु सचिव, उत्तराखण्ड शासन, चिकित्सा अनुभाग-2 के पत्र संख्या-895/XXVIII-2- 2016/06(02)/2012 देहरादून दिनांक 13.10.2016 के संदर्भ में।
- 5- महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को उनके पत्र संख्या--2प/ रा०म०/53/2008/22797, दिनांक 15.10.2016 के संदर्भ में।
- 6- महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
- 8- अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल बरेली।
- 9- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला महिला चिकित्सालय, शाहजहाँपुर।
- 10- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, शाहजहाँपुर।
- 11- मुख्य चिकित्साधिकारी, ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड।
- 12- संबंधित चिकित्साधिकारी(द्वारा महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ)।
- 13- चिकित्सा अनुभाग-2/3
- 14- कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवगोपाल सिंह)  
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या- 1825 /पांच-8-2018-जी0(06)/2018

लखनऊ : दिनांक 05 जून, 2018

**कार्यालय-जाप**

शासन के कार्यालय जाप संख्या-07/2018/504/पांच-8-2018-जी0(06)/2018, दिनांक 19-02-2018 द्वारा क्रम संख्या-15 पर चयन क्रमांक-एस-717 पर डा0 नीतू शुक्ला की मुख्य चिकित्साधिकारी, हमीरपुर की गयी तैनाती को संशोधित करते हुए जिला संयुक्त चिकित्सालय, रायबरेली की गई थी। जनपद रायबरेली में जिला संयुक्त चिकित्सालय नाम को कोई चिकित्सालय स्थापित नहीं है।

2- सम्यक विचारोपरान्त डा0 नीतू शुक्ला, चिकित्साधिकारी की तैनाती स्थल जिला संयुक्त चिकित्सालय, रायबरेली को संशोधित करते हुए अधीन मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली की जाती है।

कार्यालय जाप दिनांक 19-02-2018 की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

**नर्वेद सिंह**

विशेष सचिव।

**संख्या- 1825 (1)/पांच-8-2018-तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- अपर निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, इलाहाबाद/चित्रकूट धाम मण्डल।
- 4- मुख्य चिकित्साधिकारी, रायबरेली/हमीरपुर ।
- 5- कोषाधिकारी, रायबरेली/हमीरपुर ।
- 6- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी।
- 7- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

( शिवगोपाल सिंह )

अनु सचिव।